

मांग संख्या - 10  
मुख्य शीर्ष - 2406

**मद क्रमांक 1**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 163.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,63,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

वन विभाग के क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 73.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 73,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 से 4**

उत्पादन वन मंडल के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ` 528.00 लाख एवं विक्रय कर भुगतान हेतु राशि ` 1750.00 लाख, कुल ` 2278.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 22,78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5 से 6**

क्षेत्रीय वन मण्डल के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर ` 4664.00 लाख एवं इमारती लकड़ियों के विक्रय पर वैट के भुगतान पर राशि ` 50.00 लाख सहित कुल राशि ` 4714.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 47,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

कार्यकारी वनवृत्तों की स्थापना के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 63.63 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 63,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8**

सामाजिक वानिकी कार्यालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 141.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,41,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9**

राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 188.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।